दिनांक 22.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 339/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय की बड़ी उपलब्धि: 'क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल' को मिला प्रतिष्ठित SKOCH Award 2026

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को आज दिनांकः 22.06.2026 को श्री नवीन अरोरा अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें द्वारा प्रतिष्ठित **SKOCH Award** का **certificate** भेंट किया गया। विदित हो कि "क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल (Crime Analytics Portal)" को **"Police & Safety"** श्रेणी में **उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर SKOCH Award** से सम्मानित किया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवायें द्वारा इन-हाउस विकसित "क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल (Crime Analytics Portal)" अपराध नियंत्रण की दिशा में एक अत्यधिक प्रभावी और उन्नत तकनीकी नवाचार है । यह पोर्टल **Triad Integration (CCTNS:** Core crime records, **Operation Trinetra:** CCTV locations, **PM GatiShakti:** Geo-spatial infrastructure layers) पर आधारित है |

पोर्टल मुख्य रूप से **Geospatial Crime Intel** हेतु Crime Visualization, **Hotspot mapping, Route Analysis** के साथ-साथ road, canal, railway, forest इत्यादि सम्भावित **escape routes** की सटीक पहचान करने में सहायक है । इस पोर्टल के सटीक डेटा विश्लेषण के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में resource management, search operations, pickets, PRVs, Foot /mobile Patrolling, CCTV deployments और अन्य पुलिस संसाधनों की आवश्यकतानुसार रणनीतिक तैनाती सुनिश्चित कर पुलिस की कार्यप्रणाली **Reactive** से **Predictive & Proactive** की तरफ सतत अग्रसर है।

डेटा-संचालित विश्लेषण, लगभग 11 लाख CCTV deployment, predictive & proactive policing के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 के सापेक्ष 2025 में चिह्नित hotspots पर प्रमुख अपराधों जैसे लूट की घटनाओं में लगभग 55%, चोरी के मामलों में लगभग 23%, महिला सम्बन्धी अपराधों में लगभग 10%, गौ-तस्करी के मामलों में लगभग 27% की कमी पायी गई।

इस पोर्टल को इन-हाउस विकसित करने और डेटा-संचालित अपराध रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रीमती तरू माथुर, श्री कृष्ण मुरारी एवं श्री अर्पित गुप्ता को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सराहा गया । राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की नवाचार-युक्त स्मार्ट पुलिसिंग, व्यावसायिक दक्षता और आम जनमानस की सुरक्षा के प्रति दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।

SKOCH AWARD
POLICE & SAFETY
SILVER
PREMIER

दिनांक 22.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 340/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कौशाम्बी/थाना मंझनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.06.2026 को थाना मंझनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एदिलपुर नहर के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुड्डू उर्फ साहिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंझनपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुड्डू उर्फ साहिल निवासी रहीमपुर मौलानी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—चोरी के नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना महरूआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गोली उर्फ श्री प्रकाश को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 504 भादवि, 4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना मिलक (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना मिलक पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शकील को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 22.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 341/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर विगत 24 घण्टों के अन्दर जनपद मुज़फ़्फ़रनगर एवं जालौन पुलिस द्वारा 02 युवकों की बचायी गयी जान

- जनपद मुज़फ़्फ़रनगर के थाना छपार की पुलिस तथा जनपद जालौन के थाना माधौगढ़ की पुलिस द्वारा मात्र 07 मिनट के अन्तराल में सम्बंधित पीड़ितों के घर पहुंचकर उनके प्राणों की रक्षा की गयी।
- दिनांक 21-06-2026 को जनपद मुज़फ़्फ़रनगर के **18 वर्षीय युवक द्वारा माता-पिता का देहांत हो जाने से अकेलेपन के कारण अवसाद में आकर** आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।
- दिनांक 21-06-2026 को जनपद जालौन के **20 वर्षीय युवक द्वारा गर्लफ्रेंड के परिवार वालों द्वारा पीड़ित से शादी करने से मना कर देने के कारण मानसिक तनाव** में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल युवकों की लोकेशन ट्रेस करके जनपद मुज़फ़्फ़रनगर व जालौन को सूचित किया गया।
- दिनांक **01-01-2023 से 15-06-2026 के मध्य इस पहल के माध्यम से कुल 3163 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** की जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026 से सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बरो के आधार पर तत्काल पीड़ितों की लोकेशन की जानकारी करके **जनपद मुज़फ़्फ़रनगर व जालौन** को प्रकरण से अवगत कराया गया।

1- जनपद-मुज़फ़्फ़रनगर

दिनांक 21-06-2026 को जनपद मुज़फ़्फ़रनगर के थाना छपार निवासी लगभग 18 वर्षीय युवक द्वारा सल्फास के रैपर के साथ काग़ज़ के पर्चे पर **"आज लास्ट स्टोरी है," ये टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 21-06-2026 को सुबह 09:59 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद मुज़फ़्फ़रनगर के थाना छपार के उपनिरीक्षक नवनीत यादव एवं आरक्षी अरुण कुमार मात्र 07 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए तथा परिजनों से जानकारी कर तत्काल पीड़ित के कमरे में पहुँचकर देखा कि **पीड़ित के पास सल्फास का एक पैकेट रखा है और एक ग्लास में पानी रखा था** । पुलिस कर्मियों ने बिना समय गंवाए पीड़ित से ग्लास छीनकर फेंक दिया और सल्फास का पैकेट अपने कब्जे में लेकर उसे आत्महत्या करने से रोका गया तथा उसको अलग कमरे में ले गए जहाँ पर उसको पुलिस कर्मियों द्वारा समझाया-बुझाया गया । पीड़ित की स्थिति सामान्य होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह मज़दूरी करता है। **माता-पिता का देहांत हो जाने के उपरान्त अकेलेपन के चलते युवक अवसादग्रस्त था, इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए** और उसने यह कदम उठा लिया ।

2- जनपद-जालौन

दिनांक 21-06-2026 को जनपद जालौन के थाना माधौगढ़ के 20 वर्षीय युवक द्वारा डाई पीते हुए **"माफ़ कर देना मुझे, मैं आप के लायक नहीं था"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 21-06-2026 को रात्रि 02:44 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद जालौन के **थाना माधौगढ़ के थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार मिश्र, आरक्षी मनीष शुक्ला एवं रिक्रूट आरक्षी गौरव कुमार मात्र 07 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए** और युवक के घर जाकर युवक के परिजनों को युवक द्वारा की गई पोस्ट की जानकारी देते हुए परिजनों के साथ तत्काल युवक के पास पहुंचे तो देखा कि वह बेसुध दशा में अपने बिस्तर पर पड़ा है। पुलिस कर्मियों ने अविलंब परिजनों व पड़ोसियों के सहयोग से युवक को नजदीकी हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पर चिकित्सक द्वारा युवक का उपचार किया गया तथा युवक की स्थिति सही हो जाने के बाद घर भेज दिया गया । युवक की स्थिति सामान्य होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वह आई.टी.आई. कर रहा है। युवक **एक लड़की से प्रेम करता है किंतु लड़की के परिजनों द्वारा अपनी लड़की की शादी युवक से करने से मना कर दिया गया, जिस से आहत होकर** युवक मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसने यह कदम उठा लिया।

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, दोनों पीड़ितों को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया । दोनों युवकों के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है । **दिनांक 01-01-2023 से 15-06-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3163 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

AI GENERATED IMAGE